बिना ही गलत रैव गैर का ... बाद ग्वालियर म0प्र0 पेश

72

75 P. COURT FEE भारत INDIA ७५ पैसे 75 PAISE

बैजनाथ तनय राम सहाय ब्रा0 आयु 75 साल पेशा कृषि निवासी ग्राम बेला तह0 रघु0 नगर जिला सतना म0प्र0 ---------------- निग0 / अपीलार्थी

बनाम

1- राम लाल तनय श्री राम सहाय ब्रा0 आयु 70 साल सा0 बेला तहसील रघु0 नगर जिला सतना म0प्र0

2- कमला प्रसाद तनय श्री गौरी शंकर ब्रा0 आयु 60 साल बेला तहसील रघु0 नगर थाना कोल0 जिला सतना म0प्र0

3- रामाधार तनय श्री गौरी शंकर ब्रा0 आयु 55 वर्ष साकिन बेला तह0 रघु0 नगर थाना कोलगवा जिला सतना म0प्र0 ----- रेस्पा0 गैर निग0

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आदेश दिनांक 7. 12. 96 द्वितीय अपीलीय न्यायालय श्री मान अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा म0प्र0 प्रकरण क्र0 218 अपील / 91 - 92

अन्तरगत धारा 50 का0 मा0

3.3.97
क्लर्क ऑफ कोर्ट

मान्यवर,

निग0 / अपीलान्ट निम्न प्रकार निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :---

प्रकरण के तथ्य :-

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपी0 / निग0 ने एक किता अपील प्रथम अपीलीय न्यायालय श्री मान अनुविभागीय अधिकारी महो0 रघुराज नगर सतना के न्यायालय में आधीनस्थ न्यायालय श्री मान नायब तहसील दार महोदय वृत सतना द्वितीय के निर्णय दिनांक 10. 5. 90 प्रकरण क्र0 3अ 27 / 89- 90 के विरुद्ध धारा 44 का0मा0 के अन्तरगत इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि आधी0 न्यायालय नायब तहसीलदार

--2 पर

R 77-II/97

अनावेदक क्र. 1 रामलाल अनावेदक क्र. 2 कमला प्रसाद अनावेदक क्र. 3 रामाधार मृत वैध वारिशान

(1) रामलाल के विधिक वारिशान
(अ) ललन उर्फ हजारीलाल पुत्र स्व. रामलाल आयु-60 वर्ष
(ब) सालिगराम पुत्र स्व. श्री रामलाल आयु 45 वर्ष
(स) राजा भैया पुत्र स्व. श्री रामलाल आयु-43 वर्ष
निवासीगण ग्राम बेला कठिया तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

(2) कमला प्रसाद के विधिक वारिशान
(अ) विश्वनाथ पुत्र स्व. श्री कमला प्रसाद आयु-35 वर्ष
(ब) रामपुत्र स्व. श्री कमला प्रसाद आयु 28 वर्ष
निवासीगण ग्राम बेला कठिया तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

(3) रामाधार के विधिक प्रतिनिधि
(अ) तुलसीदास पुत्र स्व. श्री रामाधार आयु 38 वर्ष
(ब) रमेश पुत्र स्व. श्री रामाधार आयु 35 वर्ष
(स) काशी पुत्र स्व. श्री रामाधार आयु 32 वर्ष
निवासीगण ग्राम बेला कठिया तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 25-5-15 के अनुसार संशोधन किया

[signature]

बैजनाथ मृत वैध वारिशान

(1) विवेकानन्द तनय हीरामन द्विवेदी उम्र 19 वर्ष
(2) भोला प्रसाद तनय हीरामन द्विवेदी उम्र 15 वर्ष नाबालिग सरपरस्त पिता श्री हीरामन तनय स्व. बैजनाथ द्विवेदी उम्र 45 वर्ष
निवासीगण ग्राम बेला तहसील रघुराज नगर जिला सतना (म.प्र.)

माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 14-2-2001 के अनुसार संशोधन किया

[signature]

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 77–दो/1997 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17–8–16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री आर0डी0 शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 218/अपील/1991–92 में पारित आदेश दिनांक 07.12.96 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम बेला की प्रश्नाधीन भूमियों के आपसी बटवारे का आवेदन पत्र अनावेदक क्र0 1 के द्वारा नायब तहसीलदार प्रभारी राजस्व वृत्त सतना के न्यायालय में पेश किया गया । प्रकरण क्रमांक 3/अ–27/89–90 दर्ज होकर दिनांक 10.05.1990 को नायब तहसीलदार सतना द्वारा आवेदक को अनुपस्थित मानते हुये आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही कर अनावेदक के हित में आदेश पारित किया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर, सतना के न्यायालय में पेश की गई जो प्रकरण क्रमांक 17/अपील/90–91 में दर्ज होकर आदेश दिनांक 31.03.92 को अपील समयाबधित होने से अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अस्वीकार की गई । अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के आदेश दिनांक 31.03.92 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा द्वितीय अपील अपर	

आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त रीवा के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 218/अपील/91–92 दर्ज किया गया तथा आदेश दिनांक 07.12.96 को प्रस्तुत द्वितीय अपील समयाबधित मानकर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये खारिज की गई । इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया, जिसमें यह बताया गया है कि नायब तहसीलदार सतना द्वारा आवेदक के विरूद्ध दिनांक 16.03.90 को एक पक्षीय का आदेश पारित किया गया है तथा प्रकरण में निर्णय दिनांक 16.03.90 को नहीं किया गया बल्कि चार पेशी के पश्चात दिनांक 10.05.90 को आदेश पारित किया गया और नायब तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक 10.05.90 की सूचना भी आवेदक को नहीं दी गई । इस संबंध में आवेदक ने मध्यप्रदेश रेवेन्यु निर्णय 1990 पेज नं 176, म0प्र0 रे0नि0 1991 पेज 127 तथा भू0राजस्व संहिता की धारा 47 की ओर अधीनस्थ न्यायालयों का ध्यान आक्रषित किया था, किन्तु दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इस बिन्दु पर ध्यान ही नहीं दिया गया और न ही प्रकरण में उल्लेखित न्याय दृष्टांत का अवलोकन किया गया तथा अपील निरस्त कर दी गई । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश विधि के विपरीत है । प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर अपील बेरूम्याद मान कर बिना गुण–दोष के आधार पर अपील खारिज कर दी गई । जबकि आवेदक द्वारा निर्णय दिनांक 10.05.90 की

जानकारी होने के पश्चात दिनांक 09.09.1990 को होने के आधार पर म्याद के अंदर प्रथम अपील पेश की गई थी। आवेदक के अधिवक्ता ने यह भी तर्क पेश किया कि नायब तहसीलदार ने आदेश पारित करने से पूर्व इश्तहार भी जारी नहीं गया जो कि धारा 178 के अंतर्गत कार्यवाही के लिये एक आवश्यक व आज्ञापक प्रावधान है। किन्तु इस बिन्दू पर अपर आयुक्त रीवा ने कोई ध्यान नहीं दिया और आदेश पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण आदेश । ऐसा आदेश स्थिर रखें जाने योग्य नहीं है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक क्र0 1 के वारिस ब, स एवं अनावेदक क्र0 2 की ओर से अधिवक्ता श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । उनके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है ।

5/ मेरे द्वारा उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि आवेदक को भेजी गई नोटिस तामील नहीं हुई । तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय ने जरिये चस्पानगी नोटिस तामीलि का आदेश दिया, किन्तु आवेदक उनके समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा ने आवेदक के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही आदेश पारित किया है। चूँकि प्रकरण में आवेदक अनुपस्थित था तो ऐसी स्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाना चाहिये था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा द्वारा एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर

प्रकरण का निराकरण किया गया है, जबकि विधि के प्रावधान के अनुसार प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाना था ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 07.12.96 निरस्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि उभयपक्षों को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये गुण–दोषों के आधार पर प्ररकण का निराकरण किया जावे ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य